07/11/24 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी वादीगण स्वयं उपस्थित आये। वाद पत्र आवेदन लगवाये उसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं आये। अब पत्रावली लगभग 05 वर्ष आगे लम्बित लेकिन वादी वकील या स्वयं वादीगण अथवा उनका कोई प्रिय होल्डर कोई भी उपस्थित नहीं आया। इसलिए वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ आया हुआ घटा 7 रु. से कम है, अतः वकील प्रभार मेरा अण्डर है, विधिवत मेरे द्वारा लेखाबद्ध कर प्रमाण पत्र।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

07/11/25

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व
स्वयं प्रार्थिनी उपस्थित नहीं होने पर बार-बार
के संबंधित इस बाद अवर हाकमी व अवर पैरवी
में खारिज हो चुका है इसलिए अवर प्रा० पत्र
212 RTA का कोई औचित्य भी नहीं रहा
इसलिए प्रा० पत्र 212 RTA भी अवर हाकमी
व अवर पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फाईल हुआ हो कार्यालय में जमा हो, बाद
तकमील स्वतंत्र इस बाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)